जिला योजना
संख्याः (304)594/नौ–3–ऊ0/बजट उरेडा(जिला)2003

प्रेषकः

डा0एम0सी0जोशी
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल ।

ऊर्जा विभागः देहरादूनः दिनांक 10 मार्च, 2004

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिये अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को जिला सेक्टर में वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिये आयोजनागत (संलग्नक विवरण के कमांक–2 की योजना में रू0 10.88 लाख का पुर्नविनियोग किया जा रहा है) में रू0 1,56,57,800/– (रू0 एक करोड़ छप्पन लाख सत्तावन हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि संलग्नक–1 में अंकित योजनाओं हेतु तत्स्थान में वर्णित निम्न शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर उनके लिये अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
2. निदेशक, उरेडा द्वारा जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अनुसार जनपदवार/योजनावार फांट कर जिला/शासन को अवगत कराया जायेगा। फॉट करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित जनपद के लिये जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं कार्यो के लिये ही धनराशि आबंटित की जायेगी एवं एक जनपद से दूसरे जनपद में परिव्यय स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा एवं जनपद में परिव्यय का पुनर्विनियोग अनुश्रवण समिति के अनुमोदन से ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन येाजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनावार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।
4. स्वीकृत धनराशि के बिल उरेडा के परियोजना अधिकारी, उरेडा मुख्यालय अल्मोड़ा द्वारा तैयार कर एवं जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार से धनराशि का आहरण किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनैन्सियल हैण्डबुक, स्टोर पर्चेज मूल्य मितव्ययता टैण्डर के विषय में निर्गत आदेश एवं अन्य के सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा, यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किस्तों में किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

8. भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं में केन्द्रांश अवमुक्त होने पर उक्त अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश/राज्यांश का कोषागार से आहरण किया जायेगा। जिन योजनाओं में पूर्व में धनराशि अवमुक्त किया गया है और उसका उपयोग नहीं हुआ है, उसका 80 प्रतिशत तक उपयोग के उपरान्त ही उक्त मदों में धनराशि आहरित की जायेगी।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.3.2004 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा और उक्त तिथि तक कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर/सक्षम अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा।

10. प्रशासनिक व्यय में जिन कार्यो हेतु आयोजनागत पक्ष से धनराशि स्वीकृत की जा रही है उनके लिये आयोजनेत्तर पक्ष से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला योजना में स्पेशल कम्पोनेट प्लान/ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत मात्राकृत परिव्यय की सीमा तक उक्त स्वीकृत धनराशि से व्यय क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बाहुल्य बस्तियों के लिये किया जायेगा।

12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–21 के लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा के अन्तर्गत संलग्नक–1 में वर्णित शीर्षकों/मदों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 3142/वि0अनु–3/ 2003, दिनांक 10 मार्च, 2004 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय

(डा0एम0सी0जोशी)
अपर सचिव

संख्याः–(307)594/नौ–3–ऊ0/बजट उरेडा (जिला)2003 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3– निदेशक, उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उरेडा
4– समस्त परियोजना अधिकारी, उरेडा, उत्तरांचल ।
5– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
6– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
7– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तरांचल शासन/एन.आई.सी. देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन ।
9– विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु ।

आज्ञा से,

(डा0एम0सी0जोशी)
अपर सचिव

C:\My Documents\Ureda-Budget.doc

शासनादेश सं0 (304)594/नौ–3–ऊ/2000/उरेडा(जिला 2003) दिनांक 10 मार्च, 2004 का

संलग्नक–1

(धनराशि रू0 हजार में)

क0	लेखाशीर्षक (अनुदान सं 21)	धनराशि	विवरण
1–	2810–वैकल्पिक ऊर्जा–01–बायोऊर्जा–102–सामुदायिक और संस्थात्मक बायो गैस–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्रीय पुरोनिधारित योजना अन्तर्गत अंशपोषित–01–उरेडा के लिये अनुदान (जिला योजना)–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2505.00	बायोगैस संयत्र हेतु
2–	2810–वैकल्पिक ऊर्जा–02–सौलर एनर्जी–102–सौलर फोटोवोल्टाइक कार्यकम–03–सौलर फोटोवोल्टाईक कार्यकम–91–उरेडा के लिये अनुदान (जिला योजना)–20 सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता	3912.80	437.80 सौलर घरेलू बत्ती 1800.00 रूफ टॉप सौलर प्लाण्ट(रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ), 1675.00 जनपद उत्तरकाशी में सोलर आईसोलेटेड पावर प्लान्ट (अतिरिक्त धनराशि राज्य योजना से संलग्न पुर्नविनियोग द्वारा)
3–	2810– वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य श्रोत–800–अन्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्रीय पुरोनिधारित योजना अन्तर्गत अंशपोषित–91–उरेडा के लिये अनुदान (जिला योजना)–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	9240.00	माईको हाइडिल योजना हेतु
	योगः–	15657.80	

(डा0एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग 2003–2004 आयोजनेत्तर अनुदान सं0–21

नियन्त्रक अधिकारी–प्र0 सचिव–ऊर्जा विभाग

(धनराशि रू0 हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
2810–वैकल्पिक ऊर्जा 60–ऊर्जा के अन्य स्रोत 800–अन्य 03–प्रशासनिक व्यय 01–उरेड़ा के लिये अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 12200	9795	1317	1088	2810–वैकल्पिक ऊर्जा 02–सौलर एनर्जी 102–सौलर फोटो वोल्टाईक कार्यकम 03–सौलर फोटो वोल्टाईक कार्यकम हेतु उरेड़ा को सहायता 91–उरेड़ा के अनुदान(जिला योजना) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1088	3913	11112
योगः–12200	9795	1317	1088	1088	3913	11112

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित सामाओं का एवं प्राविधानों का उल्लघन नहीं होता है।

(डा0एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्याः 3142(क)/वि0अनु–3/2004
देहरादूनः दिनांकः 10 मार्च, 2004
पुनर्विनियोग स्वीकृत

रमेश चन्द्र शर्मा
उप सचिव

संख्याः (304)594/नौ–3–ऊ/बजट उरेड़ा/04 , दि 10-3-04

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।

(डा0एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव